भारत सरकार

व ध और याय मं ालय

वधायी वभाग

लोक सभा

अतारां कत न सं. 711

जिसका उ तर गु वार, 21 जुलाई, 2016 को दया जाना है

संचार क आधु नकप त

711. ीअसादु ीनओवैसी :

या **व ध और याय** मं ीयह बताने क कृपा कर गे क:

(क) या यह सच है कद वानी या सं हता, समय-समय पर यथासंशो धतम पीड पो ट, ई-मेल आ दजैसे संचार क आधु नकप त का उपयोग करने का अ धदेश दया गया है ;

(ख) य दहां, तो या सरकार को इस बात क जानकार है क यायालय अब भी संपूण देश म केवल ोसेससव र के मा यम से समन भेजती है और कोट टॉफके मा यम से द ती पसे प रदानकरती है ;

(ग) य दहां, तो इसके या कारण ह ;

(घ) या अनेक उ च यायालय द वानी या सं हताके संशो धतउपबंध को अंगीकार नह ं कयाहै और य दहां, तो इसके या कारण ह ; और

(ङ) सरकार वारादेश म सभी उ च यायालय वारासंचार क आधु नकप त का उपयोग सु नि चतकरने के लए या कदम उठाए गए ह /उठाए जा रहे ह ?

<u>उ तर</u>

व ध और यायतथा इले ा नक और सूचना ौ यो गक रा य मं ी(पी.पी.चौधर)

(क) : जी हां, स वल या सं हता, 1908 (1908 का 5) का आदेश 5 नयम, 9 यायालय वारा समन प रद त करने के लए उपबंध करता है । उ त उपबंध स वल या सं हता (संशोधन) अ ध नयम, 2002 (2002 का 22) वारा संशो धत कया गया है । नयम 9 समन प रद त करने के लए उ चत अ धकार के समक्ष से या स यक प से रजि ड डाक पावती वारा या पीड पो ट वारा या उ च यायालय या संबं धत

यायालय वारा अनुमो दत ऐसी को रयर सेवाओं के वारा या द तावेज पारेषण के अ य कसी मा यम वारा (जिसके अंतग त फैक्स संदेश या इले ा नक मेल सेवाएं भी है), उ च यायालय वारा बनाए गए नयम वारा उपबंध कया गया है । यह नयम आधु नक संचार के प जैसे पीड पो, ईमेल के लए उपबंध करता है ।

(ख) से (ड) : जानकार एक त क जा रह है और सदन के पटल पर रख द जाएगी ।

****